रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम०-14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 17 जनवरी, 1987/27 पौष, 1908

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 8 जनवरी, 1987

संख्या होम (ए)-एफ(13)-1/82.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मैनोवर फील्ड फायरिंग एवं आरटिलरी प्रैक्टिस अधिनियम, 1938 (1938 का पांचवां अधिनियम) की धारा 9 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (4) में अपेक्षित है, इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन उन क्षेत्रों में जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 11-69/68-गृह (ए) दिनांक प्रथम जुलाई, 1981 में निर्दिष्ट किये गये हैं में निम्नलिखित अवधि के दौरान पूर्व परिभाषित क्षेत्र में फील्ड फायरिंग तथा आरटिलरी अभ्यास करने हेतु प्राधिकृत करने के निश्चय को सरकारी राजपत्र में इस आशय की अधिसूचना उन लोगों की सूचना हेतु जो कि इस द्वारा प्रभावित होने सम्भावित हैं, सहर्ष प्रकाशित करते हैं:—

जुलाई, 1987 15 से 21 जुलाई	अक्तूबर, 1987 04 से 10 अक्तूबर 21 से 27 अक्तूबर	जनवरी, 1988 06 से 12 जनवरी
अगस्त, 1987 05 से 11 अगस्त 23 से 29 अगस्त	नवम्बर, 1987 06 से 12 नवम्बर	फरवरी, 1988 08 से 14 फरवरी

80-राजपत्र/87-17-1-87—1,202.

मूल्य: 20 पैसे।

सितम्बर, 1987	दिसम्बर, 1987	मार्च, 1988
20 से 25 सितम्बर	08 से 14 दिसम्बर	05 से 11 मार्च
		23 से 29 मार्च
अप्रैल, 1988	मई, 1988	
05 से 11 अप्रैल	05 से 11 मई	
24 से 30 अप्रैल		

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-,
आयुक्त एव सचिव (गृह)।

सामान्य प्रशासन विभाग

ख-अनुभाग

शुद्धि-पत्र

शिमला-17.0 2, 7 जनवरी, 1987

संख्या जी0ए0बी0 6 एफ (4) 00/85.--इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 अगस्त, 1986 के पैरा संख्या 4 के नीचे दर्शाई गई विवरणी के कालम संख्या 6 में शब्द "वर्गमीटर" के स्थान पर शब्द "वर्गगज" पढ़ा जाए।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-,
आयुक्त एवं सचिव (सामान्य प्रशासन)।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-171 002, 7 जनवरी, 1987

संख्या पी0सी0एच0एच0ए0(5) 83/86.--क्योंकि श्री भीनू राम, प्रधान, ग्राम पंचायत तंगरोटी, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा, निम्नलिखित आरोपों में संलिप्त होते हैं :--

1. प्रधान श्री भीनू राम ने पंचायत भवन के निर्माण पर पंचायत निधि से 13000/- रुपये व्यय किये जबकि यह भवन विकास खण्ड अधिकारी नगरोटा बगवां द्वारा 35000 रुपये अनुदान दी गई राशि द्वारा निर्मित किया गया है तथा इसके अतिरिक्त इसी भवन पर मु0 1200/- रुपये डिस्टैम्पर करने तथा 600/- रुपये या 700 रुपये की राशि रंग करने पर व्यय की गई है।

2. उक्त प्रधान ने 4-10-1985 को गांव के मच्छली टैंक को मच्छली पालन विभाग को बिना पंचायत की स्वीकृति के किराये पर दिया है।

3. उक्त प्रधान की अपनी भूमि तथा अन्य अपने लघु उद्योगों से 10,000 रुपये के लगभग मासिक आय है फिर भी उसने अपना नाम आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत पंजीकृत करा रखा है ।

4. ग्राम पंचायत तंगरोटी के औजार पंचायत भवन में विद्यमान नहीं हैं तथा पंचायत कार्यालय में लगाये समाचार-पत्र का लेखा भी उक्त प्रधान द्वारा नहीं रखा गया है ।

5. उक्त प्रधान इस ग्राम पंचायत के उन लोगों के बच्चों के जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण सचिव द्वारा नहीं करने देते जिन्होंने उन्हें गत चुनाव में वोट नहीं डाले हैं तथा न ही उनके चरित्र प्रमाण-पत्र आदि ही देते हैं ।

6. उक्त प्रधान ने गांव के गरीब लोगों से आई0 आर0 डी0 के प्रमाण-पत्र देने के लिए 5 रुपये प्रत्येक से प्राप्त किए किन्तु न ही उन्हें उक्त प्रमाण-पत्र दिये और न ही उनसे प्राप्त धन राशि लौटाई ।

और क्योंकि उक्त अंकित आरोपों की जांच का कराया जाना जरूरी है ।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त प्रधान श्री भीनू राम के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की वास्तविकता जानने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) (सी) के अन्तर्गत नियमित जांच हेतु उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक), कांगड़ा को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं । जांच रिपोर्ट जिलाधीश कांगड़ा के माध्यम से उनकी टिप्पणियों सहित इस कार्यालय को शीघ्र प्रेषित कर दी जाए ।

हस्ताक्षरित/-,
उप-सचिव (पंचायत) ।

कार्यालय उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला

अधिसूचनाएं

शिमला–171001, 2 जनवरी, 1987

संख्या पी0 सी0 एच0-एस0एम0एल0(3) 20/85-51.—क्योंकि श्री अनील राज मैहता, पंच, ग्राम पंचायत नेरवा, तहसील चौपाल, जिला शिमला, ने पंच पद से अपना त्याग पत्र दिया है तथा विकास खण्ड अधिकारी चौपाल ने भी श्री अनील राज मैहता, पंच के त्याग-पत्र को स्वीकृत करने की सिफारिश की है ।

अतः मैं, जे0 पी0 नेगी, उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला, उन शक्तियों के अधीन जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 10 तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 19 (बी) के अन्तर्गत प्राप्त हैं श्री अनील राज मैहता, पंच, ग्राम पंचायत नेरवा, जिला शिमला का पंच पद से त्याग-पत्र तथा पंच पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

शिमला-171001, 2 जनवरी, 1987

संख्या पी0 सी0 एच0-एस0एम0एल0 (3) 20/85-44.—चूंकि श्री राम कृष्ण, पंच, ग्राम पंचायत ठिक्कर-क्यारटू, विकास खण्ड ठियोग ने पंच पद से त्याग-पत्र दिया है तथा विकास खण्ड अधिकारी, ठियोग ने भी त्याग-पत्र को स्वीकृत किए जाने की सिफारिश की है ।

अतः मैं, जे0 पी0 नेगी, उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला उन शक्तियों के अधीन जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 10 तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 19(बी) के अन्तर्गत प्राप्त हैं श्री राम कृष्ण, पंच, वार्ड नं0 3, नावर, ग्राम पंचायत टिक्कर-क्यारटू, तहसील ठियोग, जिला शिमला का पंच पद से त्याग-पत्र तथा ग्राम पंचायत टिक्कर क्यारटू के वार्ड 3 नावर के पंच पद को रिक्त घोषित करता हूं।

जे0 पी0 नेगी,
उपायुक्त, शिमला।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला–171002, 8 जनवरी, 1987

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0(5) 47/86.––क्योंकि श्री रणजीत सिंह, पंच, ग्राम पंचायत सहेली, विकास खण्ड रिवालसर, जिला मण्डी, पर ग्राम पंचायत की मासिक बैठकों में दिनांक 20-7-86 से लगातार अनुपस्थित रहने का आरोप है। क्योंकि आरोप की वास्तविकता जानने के लिए जांच करवानी आवश्यक है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री रणजीत सिंह, पंच, ग्राम पंचायत सहेली, विकास खण्ड रिवालसर के वि रुद्ध लगे आरोपों की वास्तविकता जानने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) (सी) के अन्तर्गत विकास खण्ड अधिकारी, सदर मण्डी को जांच अधिकारी नियुक्त करने के सहर्ष आदेश देते हैं। वह अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश ऊना के माध्यम से एक मास के भीतर-भीतर इस कार्यालय को भेजेंगे।

शिमला-171002, 12 जनवरी, 1987

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 93/82.––क्योंकि ग्राम पंचायत नांज द्वारा प्रधान की अध्यक्षता में पारित प्रस्ताव संख्या 6 तथा जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार यह बात सामने आई है कि श्रीमती कृष्णा देवी, पंच, ग्राम पंचायत नांज 12-5-86 से 12-9-86 तक ग्राम पंचायत की बैठकों से अनुपस्थित रह रही है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त तथ्य की पुष्टि के लिए जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं। वे अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश मण्डी की टिप्पणियों सहित शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

हस्ताक्षरित/-,
उप-सचिव (पचायत)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।